न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : २१९/2023

वादीगण	प्रतिवादी
1. दलौर सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. हरगोविन्द सिंह पुत्र दलौर सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. कुलदीप सिंह पुत्र दलौर सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर।	बनाम 1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 26.06.2023

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

––निर्णय–– दिनांक : 26.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 26 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 32/30 में क्रम संख्या 2 पर वादी संख्या 1 का नाम दिलावर सिंह पुत्र प्रताप सिंह दर्ज है। जबकि सही नाम दलौर सिंह पुत्र प्रताप सिंह है। इसी चक के खाता संख्या 30/78, 91/81 में वादी संख्या 2 का नाम हरगोविन्द सिंह पुत्र दिलोर सिंह दर्ज है। जबकि सही नाम हरगोविन्द सिंह पुत्र दलौर सिंह है। वादी संख्या 3 का नाम कुलदीप सिंह पुत्र दिलोर सिंह दर्ज हैं। जबकि सही नाम कुलदीप सिंह पुत्र दलौर है। इसी चक के खाता संख्या 72/03 में वादी संख्या 2 का नाम हरगोविन्द सिंह पुत्र बलोर सिंह दर्ज है। जबकि सही नाम हरगोविन्द सिंह पुत्र दलौर सिंह है। वादी संख्या 3 का नाम कुलदीप सिंह पुत्र बलोर सिंह दर्ज हैं। जबकि सही नाम कुलदीप सिंह पुत्र दलौर है। अतः प्राथना पत्र पेश कर अर्ज है कि उक्त खातो में वादीगण का नाम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जावे।

उक्त प्रकरण के संबध में रिपोर्ट उपतहसीलदार केसरीसिंहपुर प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। उपतहसीलदार केसरीसिंहपुर के पंत्राक 395 दिनांक 24.06.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक चक 26 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 32/30 में नाम दिलावर सिंह पुत्र प्रताप सिंह दर्ज है। खाता संख्या 30/78, 91/81 में नाम हरगोविन्द सिंह पुत्र दिलोर सिंह व कुलदीप सिंह पुत्र दिलोर सिंह दर्ज हैं। खाता संख्या 72/03 में नाम हरगोवि[illegible] सिंह पुत्र बलोर सिंह व [illegible]दीप सिंह पुत्र बलोर सिंह दर्ज हैं। जबकि दिलोर सिंह, बलोर सि[illegible] सिंह व दलौर सिंह नाम एक ही व्यक्ति के है। सही [illegible] में शुद्ध किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र, रिपोर्ट उपतहसीलदार केसरीसिंहपुर [illegible] अध्ययन किया। वादीगण की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 26 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 33/29, 85/27, 32/30, 12/78, 30/78, 72/03, 91/81, की

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:37:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

प्रतियां, आधार कार्ड की छायाप्रति, मूलनिवास की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है। वादीगण द्वारा राजस्व ग्राम 26 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 32/30 में अंकित नाम दिलावर सिंह पुत्र प्रताप सिंह के स्थान पर दलौर सिंह पुत्र प्रताप सिंह, खाता संख्या 30/78, 91/81 में अंकित नाम हरगोविन्द सिंह पुत्र दिलोर सिंह के स्थान पर हरगोविन्द सिंह पुत्र दलौर सिंह व कुलदीप सिंह पुत्र दिलोर सिंह के स्थान पर कुलदीप सिंह पुत्र दलौर सिंह, खाता संख्या 72/03 में अंकित नाम हरगोविन्द सिंह पुत्र बलोर सिंह के स्थान पर हरगोविन्द सिंह पुत्र दलौर सिंह व कुलदीप सिंह पुत्र बलोर सिंह के स्थान पर कुलदीप सिंह पुत्र दलौर सिंह दर्ज करवान बाबत निवेदन किया हैं। वादीगण के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम दलौर सिंह पुत्र प्रताप सिंह, हरगोविन्द सिंह पुत्र दलौर सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र दलौर सिंह दर्ज है। रिपोर्ट उपतहसीलदार केसरीसिंहपुर के अनुसार चक 26 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 32/30 में नाम दिलावर सिंह पुत्र प्रताप सिंह दर्ज है। खाता संख्या 30/78, 91/81 में नाम हरगोविन्द सिंह पुत्र दिलोर सिंह व कुलदीप सिंह पुत्र दिलोर सिंह दर्ज हैं। खाता संख्या 72/03 में नाम हरगोविन्द सिंह पुत्र बलोर सिंह व कुलदीप सिंह पुत्र बलोर सिंह दर्ज हैं। जबकि दिलोर सिंह, बलौर सिंह, दिलावर सिंह व दलौर सिंह नाम एक ही व्यक्ति के है। सही नाम दलौर सिंह जो उक्त खातों में शुद्व किया जाना उचित है। सरपंच ग्राम पंचायत 27 एफ कमीनपुरा के तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार दलौर सिंह उर्फ दिलावर सिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः वाद पत्र वादीगण रिपोर्ट उपतहसीलदार केसरीसिंहपुर, सरपंच ग्राम पंचायत 27 एफ कमीनपुरा प्रमाण पत्र, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 26 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 32/30 में अंकित नाम दिलावर सिंह पुत्र प्रताप सिंह के स्थान पर दिलावर सिंह उर्फ दलौर सिंह पुत्र प्रताप सिंह, खाता संख्या 12/78 में अंकित नाम कुलदीप सिंह पुत्र दिलोर सिंह के स्थान पर कुलदीप सिंह पुत्र दलौर सिंह, खाता संख्या 30/78, 91/81 में अंकित नाम हरगोविन्द सिंह पुत्र दिलोर सिंह के स्थान पर हरगोविन्द सिंह पुत्र दलौर सिंह व कुलदीप सिंह पुत्र दिलोर सिंह के स्थान पर कुलदीप सिंह पुत्र दलौर सिंह, खाता संख्या 72/03 में अंकित नाम हरगोविन्द सिंह पुत्र बलोर सिंह के स्थान पर हरगोविन्द सिंह पुत्र दलौर सिंह व कुलदीप सिंह पुत्र बलोर सिंह के स्थान पर कुलदीप सिंह पुत्र दलौर सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:37:44 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023, ग्राम पंचायत 27 एफ कमीनपुरा में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

दलौर सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नम्बर २१९ /2023

निर्णय दिनांक :- 26.06.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 26 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 32/30 में अंकित नाम दिलावर सिंह पुत्र प्रताप सिंह के स्थान पर दिलावर सिंह उर्फ दलौर सिंह पुत्र प्रताप सिंह, खाता संख्या 12/78 में अंकित नाम कुलदीप सिंह पुत्र दिलोर सिंह के स्थान पर कुलदीप सिंह पुत्र दलौर सिंह, खाता संख्या 30/78, 91/81 में अंकित नाम हरगोविन्द सिंह पुत्र दिलोर सिंह के स्थान पर हरगोविन्द सिंह पुत्र दलौर सिंह व कुलदीप सिंह पुत्र दिलोर सिंह के स्थान पर कुलदीप सिंह पुत्र दलौर सिंह, खाता संख्या 72/03 में अंकित नाम हरगोविन्द सिंह पुत्र बलोर सिंह के स्थान पर हरगोविन्द सिंह पुत्र दलौर सिंह व कुलदीप सिंह पुत्र बलोर सिंह के स्थान पर कुलदीप सिंह पुत्र दलौर सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 26.06.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर
दिनांक 26.06.2023

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:37:44 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांकः रीडर/ 2023/ ३६०
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ✦ श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते